राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–47 / 2025

पिन्टु कुमार कुशवाहा बनाम् दिलिप कुमार।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–27.11.2025, दिनांक–08.01.2026, दिनांक–05.02.2026 एवं दिनांक–19.03.2026 को हुई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार हर्षवर्द्धन उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की तरफ से अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्रीमती सीमा कुमारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, सिवान एवं श्री अमर ज्योति, वरीय उप समाहर्त्ता, सिवान को प्राधिकृत किये गये।

यह वाद वादी के द्वारा दायर वाद के माध्यम से प्रारम्भ हुआ है। वादी श्री पिन्टु कुमार कुशवाहा, पिता–श्री सुभाष कुशवाहा, पता–आन्दर, थाना–आन्दर, **जिला–सिवान** द्वारा अपने वाद–पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी श्री दिलीप कुमार, पिता–श्री रामजी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट–आन्दर, **जिला–सिवान**(वर्तमान उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर) के द्वारा वर्ष–2022 के नगरपालिका आम निर्वाचन में शपथ–पत्र में आपराधिक मुकदमों को छुपाया गया है एवं विजय प्राप्त की गयी है।

वादी द्वारा वाद–पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री दिलीप कुमार, पिता–श्री रामजी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट–आन्दर, **जिला–सिवान** के द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन के समय वैधानिक शपथ–पत्र के साथ अपना नामांकन–पत्र दायर किया गया एवं उनके द्वारा शपथ–पत्र में अंकित किया गया है कि उनके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामले दर्ज एवं लंबित नहीं है।

आगे उनके द्वारा वाद में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने शपथ–पत्र में की गयी उक्त घोषणा झुठी, भ्रामक है और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान–बुझकर छिपाया गया है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी के विरूद्ध **01.** आन्दर थाना काण्ड संख्या–194 / 2017 एवं **02.** आन्दर थाना काण्ड संख्या–177 / 2018 दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी नामजद आरोपी है। आगे उनके द्वारा वाद में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा जान–बुझकर मिथ्या शपथ–पत्र दायर किया गया है, जिसका एक मात्र उद्देश्य मतदाताओं और चुनाव आयोग को गुमराह करना है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी हुई है। झुठा शपथ–पत्र दायर करना, भ्रष्ट आचरण के बराबर है और विशेष रूप से आपराधिक मामलों से संबंधित मामले बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के तहत अयोग्यता के लिये उत्तरदायी है। आगे इनके द्वारा भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–36(2) को उल्लेख करते हुए, बताया गया कि जान–बुझकर तथ्यों को छुपाने के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रतिवादी का नामांकन–पत्र को अस्वीकार कर देना चाहिए था। अंत में वादी द्वारा उक्त चुनाव को Null & void करते हुए, प्रतिवादी को अपने पद से अयोग्य घोषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आयोग द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता को लगाये गए आपराधिक मामलों से संबंधित आरोपों की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर किया गया तथा पारा–03 में उल्लेखित किया गया है कि वादी द्वारा, जो वाद दायर किया गया है, आयोग में Maintainable नहीं है।

आगे इनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1) के संगत धाराओं के उल्लेखित करते हुए, यह उल्लेख किया गया है कि वादी द्वारा लगाया गया यह आरोप की उनके द्वारा आपराधिक मामले से संबंधित तथ्य नामांकन के शपथ–पत्र में छुपाया गया है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाना है, बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1) के संगत धाराओं में ऐसा प्रावधान वर्णित नहीं है। अतः यह मामला विचारणीय नहीं है।

आगे इनके द्वारा उल्लेखित है कि यदि वादी इस मामले से असंतुष्ट है, तो उनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–476 के तहत सक्षम प्राधिकार के समक्ष चुनाव वाद दायर कर सकते है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह वाद आयोग में विचारणीय नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाना उचित है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगायें गए आपराधिक मामलें से संबंधित आरोपों की सत्यापित प्रति जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान की अधतन स्थिति उल्लेखित है उपलब्ध कराया गया ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान के द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–75/पं0, दिनांक–07.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

''प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया। श्री पिन्टु कुमार कुशवाहा, पिता–सुभाष कुशवाहा, ग्राम–आन्दर, थाना–आन्दर, जिला–सिवान का आरोप है कि श्री दिलीप कुमार, पिता–रामजी कुमार, ग्राम–आन्दर, थाना–आन्दर, जिला–सिवान के द्वारा आन्दर नगर पंचायत चुनाव–2022 के दौरान अपने नामांकन में दाखिल शपथ–पत्र में आन्दर थाना काण्ड संख्या–194/2017 एवं आन्दर थाना काण्ड संख्या–177/2018 का जिक्र नहीं किया गया है एवं तथ्यों को छुपाया गया है। वर्तमान में आन्दर थाना काण्ड संख्या–194/2017 में आरोप पत्र संख्या–39/2018, दिनांक–12.05.2018 तथा आन्दर थाना काण्ड संख्या–177/2018 में आरोप पत्र संख्या–122/2018, दिनांक–30.11.2018 को अनुसंधान समाप्ति पश्चात् सभी मूल कागजातों के साथ माननीय न्यायालय, सिवान में समर्पित किया जा चुका है। उक्त दोनों काण्ड में न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री दिलीप कुमार, के द्वारा आन्दर पंचायत चुनाव–2022 के नामांकन से संबंधित शपथ–पत्र में उनके विरूद्ध न्यायालय वादों को शपथ–पत्र में शून्य अंकित किया गया है तथा जाँच के क्रम में कोई साक्ष्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं ।''

वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज तथा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच–सह–सत्यापित प्रतिवेदन के उपरांत आयोग का मंतव्य निम्नवत् हैः–

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी का मुख्य आरोप है कि प्रतिवादी श्री दिलीप कुमार द्वारा आन्दर नगर पंचायत, चुनाव–2022 में शपथ–पत्र में आपराधिक मामले को छुपाकर नगर पंचायत आन्दर के उप मुख्य पार्षद के पद पर विजय प्राप्त की है। आयोग वादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–36(2) के तहत नामांकन शपथ–पत्र में तथ्य को छुपाने के कारण निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नामांकन अस्वीकृत नहीं किया गया तथा उक्त चुनाव को Null & void घोषित किया जाए, क्योंकि इस मामले में आयोग सक्षम प्राधिकार नहीं है। आयोग में दायर वाद नगरपालिका के मामले में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 एवं पंचायत के मामले में बिहार पंचायती राज अधिनियम–2006 में वर्णित सुसंगत धाराओं के तहत सुनवाई की जाती है। अतः आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत है, कि तथ्य छुपाने के आधार पर आयोग द्वारा अयोग्य घोषित नही किया जा सकता, परन्तु वादी इस मामले में निर्वाची पदाधिकारी के फैसले से असंतुष्ट थे, तो उन्हें सक्षम प्राधिकार के समक्ष बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–476 के तहत चुनाव वाद दायर किया जाना चाहिए था, इस हेतु सक्षम प्राधिकार के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर किया जाना होता है।

आयोग द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, आपराधिक मामले से संबंधित न्यायालय की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया, तो पाया गया कि वादी द्वारा वाद में उल्लेखित आपराधिक मामले **(01.)** आन्दर थाना काण्ड संख्या–194/2017 में आरोप पत्र संख्या–39/2018, दिनांक–12.05.2018 तथा **(02.)** आन्दर थाना काण्ड संख्या–177/2018 में आरोप पत्र संख्या–122/2018, दिनांक–30.11.2018 में प्रतिवादी का नाम क्रमशः दिलिप प्रसाद पे0–रामजी प्रसाद एवं दिलिप कुमार पे0–रामजी प्रसाद के रूप में दर्ज है ,जिसमें सक्षम न्यायालय अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी–(IX) सिवान द्वारा संज्ञान लिया गया है जिसका जिक्र प्रतिवादी द्वारा अपने नांमांकन के शपथ पत्र में नहीं किया गया है, अर्थात् शून्य अंकित किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन के शपथ–पत्र में आन्दर थाना काण्ड संख्या–194/2017 एवं आन्दर थाना काण्ड संख्या–177/2018, जिसमें सक्षम न्यायालय, अपर मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी–(IX) सिवान द्वारा संज्ञान लिया गया है का जिक्र न करना बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 का उल्लंघन है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445(1) के तहत कतिपय सूचना देना आवश्यक है, जो निम्नवत् हैः–

(i) क्या प्रत्याशी पूर्व में किसी आपराधिक कृत्य से दोष सिद्ध/दोष मुक्त/अनुमोचित है। क्या वह कारावास या अर्थदण्ड से दंडित है।

(ii) क्या प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के 06 माह पूर्व जिसमें 06 महीने से अधिक के कारावास का दण्ड दिया जा सके, के लंबित प्रकरण में आरोपित है और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है, अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, यदि ऐसा हो तो उसका विवरण।

अतएव आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान को आदेश दिया जाता है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–445 के उल्लंघन एवं गलत शपथ–पत्र दायर करने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा–447 के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से अधिकत्तम 04 सप्ताह में आयोग को अवगत कराया जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
12.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
12.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–47/2025 4028 पटना, दिनांक– 12.10.26

प्रतिलिपि– जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान**/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, **सिवान** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, **सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–47/2025 4028 पटना, दिनांक– 12.10.26

प्रतिलिपि–वादी श्री पिन्टु कुमार कुशवाहा, पिता–श्री सुभाष कुशवाहा, पता–आन्दर, थाना–आन्दर, **जिला–सिवान** एवं प्रतिवादी श्री दिलीप कुमार, पिता–श्री रामजी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट–आन्दर, **जिला–सिवान** (वर्तमान उप मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, आन्दर) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–47/2025 4028 पटना, दिनांक– 12.10.26

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त